

आनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक निर्देश Instructions for Online Application Filing

- ✓ वेब पोर्टल के माध्यम से मानचित्र जमा करने की यह सुविधा केवल लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं के 300 वर्ग मीटर से कम के आवासीय भूखंडों के लिए उपलब्ध है। अन्य किसी भी प्रकार के मानचित्र जमा करने हेतु प्राधिकरण के कार्यालय पर उक्त हेतु बनाए गए काउंटर पर संपर्क करें |

Facility for submitting the map online using this web portal is valid only for residential plots under 300 sq. mt. in LDA Schemes area. For any other type of maps, the submission has to be done manually at the LDA counters.

- ✓ मानचित्र की स्कैन कापी की pdf बनाकर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु मानचित्र का आकार A1 साइज का होना चाहिए। स्कैन करते समय ध्यान रखें कि स्कैन कापी स्पष्ट व पूर्ण हो।

The Map should be scanned and a “pdf” file must be created. The size of the map should be kept as A1 paper size. The scanned document should be clean and clear in all respect else the map shall not be considered for approval process.

- ✓ मानचित्र की एक कापी को AutoCad के फारमेट में पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।

One copy of map should be uploaded in AutoCad format. Size in this case also should be A1 Only.

- ✓ पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड किया जाना आवश्यक होगा | अतः इन दस्तावेजों की pdf पहले से तैयार रखें |

Following documents shall be required alongwith the map, which has to be uploaded in “pdf” format

1. मानचित्र / Map
 2. स्वामित्व संबंधी दस्तावेज / Ownership Document
 3. वास्तुविद अथवा अभियंता का प्रमाणपत्र / Architect or Engineer Certificate
 4. शपथपत्र / Affidavit
- ✓ पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्न धनराशी प्राधिकरण के खाते में जमा करना अनिवार्य है। इस धनराशी को आप ई - चालान द्वारा या NEFT/RTGS द्वारा जमा कर सकते हैं।

For submitting the On-line Application using the portal following charges should be deposited in LDA's Account. You may deposit these charges using E-Challan, which shall be generated at the end of Application Submission or you may deposit the same using RTGS/ NEFT.

मानचित्र शुल्क / Map Fee	प्रति मानचित्र/ Per Map	
निरीक्षण शुल्क / Inspection Fee	प्रति वर्गमीटर (आच्छादित क्षेत्रफल)/ Per sq mt of covered area	
मलबा शुल्क / Stacking Fee	प्रति वर्गमीटर (आच्छादित क्षेत्रफल)/ Per sq mt of covered area	

- ✓ यदि आप NEFT/RTGS के माध्यम से धनराशी जमा करना चाहते हैं तो उक्त धनराशी को प्राधिकरण के खाते में ट्रांसफर करके बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया ट्रांजेक्सन आईडी को आवेदन के डिपॉजिट डिटेल् में अवश्य अंकित करें ।

Applicant may also transfer the Map Submission Fee to LDA authorized banks using NEFT/RTGS and note down the Transaction ID, which should be entered on web portal in deposit detail section.

- ✓ आवेदन पत्र के साथ जमा धनराशी व अन्य दस्तावेजों पुष्टि के पश्चात आपके मोबाइल पर आवेदन पत्र की स्वीकृत संबंधी जानकारी प्रेषित की जायेगी ।

After scrutiny of documents and deposit submitted by you along with the on-line application, a message regarding the Acceptance of Map Application shall be sent on your mobile.